2023/168

13/6/2023 पेशि
27/6/23
5/1/24
18/7 पेशि

जोशी स्टेशनर्स, मांडलगढ़ ☏ 230289

**राजस्थान सरकार**

तः. पेकी स्टेज

( कायदा — 129 )

**जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेक्स फार्म नम्बर 8 के**

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला-भीलवाड़ा (राज.)**

| किस्म मुकदमा<br>1 | नम्बर मुकदमा<br>2 | तारीख दायर<br>3 | तारीख फैसला<br>4 | फैसला क्रमांक<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| 111-128 | 130/2023 | 30/5/2023 | [signature] 20/2/24 | |

**अनवान**

श्री शम्भुलाल S/o मूलालाल जाति धाकड़ — श्री प्रभुलाल S/o मोतमल जाति धाकड़

निवासी उम्मेदपुरा — निवासी उम्मेदपुरा

रामफूल धाकड़

**अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट** — **अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट**

गौरव शर्मा (3)

**डिक्रीदार** — **रेस्पांडेन्ट / मदयूनान**

श्री रामफूल धाकड़ — श्री

# FORM NO. III

## फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

रामप्रसाद ... बनाम ... प्रभुलाल

नम्बर 130 /2023

किस्म मुकदमा – 111-128

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 30/5/2023 | प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 13/6/2023 को पेश हों।<br>उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां<br>उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा | |
| 13/6/23 | पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 27/6/23 को वास्ते जवाब पेश हो।<br>उप खण्ड अधिकारी | |
| 27/6/23 | पत्रावली पेश हुई। विपक्षी की (3) ओर से अधिवक्ता गौरव शर्मा ने अधिकार पत्र पेश किया। विपक्षी 1 एवं 2 के विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित किए गए। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 04/07/23 को पेश हो। | |
| 4/7/23 | पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते जवाब (अंतिम अवसर) दिनांक 11/07/23 को पेश हो।<br>उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा | |
| 11/7/23 | पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते जवाब (अंतिम अवसर) दिनांक 19/7/23 को पेश हो। | |

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा

18/7/23 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। विपक्षी अधिवक्ता ने जवाब के लिए अवसर चाहा। पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 22/8/23 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा

22/8/23 पत्रावली पेश हुइ। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 19/9/23 को वास्ते जवाब पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

19/9/23 पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 31/10/23 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ ...

31/10/23 पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा दौरे पर है। प्रात्रावली दिनांक 12/12/23 को वास्ते प्र. जवाब पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

12/12/23 पत्रावली पेश हुइ। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 2/1/24 को वास्ते प्र. जवाब पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

2/1/24 Advt से पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते जवाब आगामी दिनांक 30/1/24 को पेश हो।

30/1/24

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा

30/1/2024 पत्रावली पेश हुइ। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 20/2/24 को वास्ते जवाब पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

APP- A
Crim-5

# FORM NO. III

## फर्द अहकाम
( नियम 26 )

जज अदालत रामभूलाल मुकाम बिजौलिया

रामभूलाल बनाम प्रभूलाल

किस्म मुकदमा 111-128 नं. 130/23 वर्ष

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 20/2/24 | पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली में निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं पृथक से लिखवाया गया पत्रावली नं से कम होकर दाखिल दफ्तर हो<br>[signature] | |

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :– 130/23 दा. तारीख 30/5/23

अनवान

शंभुलाल पुत्र मूणलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी उम्मेदपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

............प्रार्थी

**बनाम**

01. प्रभूलाल पुत्र जीतमल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी उम्मेदपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. हीरालाल पुत्र स्वरूपा जाति बंजारा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी चम्पापुर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. गोरू पुत्र मांगु जाति बंजारा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी चम्पापुर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.............विपक्षीगण

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :– दिनांकः 20/2/24

प्रार्थना पत्र **शंभुलाल पुत्र मूणलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी उम्मेदपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)** ने जरिये अभिभाषक **श्री रामफूल धाकड** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि **ग्राम आटी पटवार हल्का गुढ़ा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 220 पर अंकित आराजी संख्या 484/3 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि** पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के अवलोकन से प्रार्थीया वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक **कांस्या** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस नियमानुसार वक्त मौका प्रार्थी अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर **ग्राम आटी पटवार हल्का गुढ़ा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 220 पर अंकित आराजी संख्या 484/3 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां (भीलवाड़ा)

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या – 130/23 पा. तारीख 30/5/23

प्रेषिति :–

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :–प्रकरण संख्या ......130....... / 2023 पत्थरगढ़ी बाबत्।

शंभुलाल पुत्र मूणलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी उम्मेदपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

............प्रार्थी

**बनाम**

01. प्रभूलाल पुत्र जीतमल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी उम्मेदपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. हीरालाल पुत्र स्वरूपा जाति बंजारा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी चम्पापुर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. गोरू पुत्र मांगु जाति बंजारा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी चम्पापुर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.............विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मैं आदेश होकर लेख है कि **ग्राम आटी पटवार हल्का गुढ़ा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 220 पर अंकित आराजी संख्या 484/3 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि** की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक **कांस्या** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस नियमानुसार वक्त मौका प्रार्थी अदा करे। पत्थरगढी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडोसियान को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें। पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या – 130/23 दि0 तारीख 30/5/23

प्रेषिति :–

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :–प्रकरण संख्या 130/23 /2023 पत्थरगढ़ी बाबत्।

शंभुलाल पुत्र मूणलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी उम्मेदपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

............प्रार्थी

**बनाम**

01. प्रभूलाल पुत्र जीतमल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी उम्मेदपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. हीरालाल पुत्र स्वरूपा जाति बंजारा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी चम्पापुर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. गोरू पुत्र मांगु जाति बंजारा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी चम्पापुर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.............विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मैं आदेश होकर लेख है कि **ग्राम आटी पटवार हल्का गुढ़ा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 220 पर अंकित आराजी संख्या 484/3 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि** की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक **कांस्या** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस नियमानुसार वक्त मौका प्रार्थी अदा करे। पत्थरगढी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडोसियान को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें। पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)